प्रेस विज्ञप्ति

11.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने आईडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हरियाणा के निदेशक, विकास और पंचायत के कार्यालय में तत्कालीन अधीक्षक नरेश कुमार को 10.06.2026 को गिरफ्तार किया है।

अब तक की गई जाँच में हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और चंडीगढ़ व पंचकुला स्थित दो निजी स्कूलों के बैंक खातों से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रखे गए 645 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का गबन होने का पता चला है। विक्रम वाधवा मुख्य आरोपियों में से एक है, जिसने रिभव ऋषि, अभय कुमार, बैंक अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके सरकारी धन का गबन किया। नरेश कुमार पर आरोप है कि उसने मेसर्स स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट से सीधे धन प्राप्त किया, जो एक मुखौटा इकाई है, जिसके माध्यम से सरकारी धन निकाला गया। जाँच के दौरान पता चला है कि नरेश कुमार ने अपने बैंक खातों में सीधे सरकारी धन प्राप्त करने के अलावा, धन के हेरफेर में एक प्रमुख बिचौलिए के रूप में भी काम किया और नकदी में उत्पन्न अपराध की आय के अधिग्रहण और छिपाने में सक्रिय भूमिका निभाई। नरेश कुमार अपराध की आय के सृजन, लेयरिंग और छिपाने में सहायक रहा है और उसे अपने और अपने परिवार के सदस्य के बैंक खातों में 1.20 करोड़ रुपये की अपराध की आय प्राप्त हुई है। इसके अलावा, गबन किए गए धन से उत्पन्न भारी मात्रा में नकदी भी उसे दी गई है।

इस धोखाधड़ी में, विभिन्न मध्यस्थ शेल संस्थाओं, जैसे कि मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज, मेसर्स स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स, आर.एस. ट्रेडर्स, मेसर्स एसआरआर प्लानिंग गुरस प्राइवेट लिमिटेड आदि को सरकारी विभाग के विभिन्न खातों से सीधे गबन किया हुआ धन प्राप्त हुआ। इसके बाद गबन किए गए धन को आरोपी व्यक्तियों और उनसे संबंधित संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान पता चला है कि इन मध्यस्थ शेल संस्थाओं से सैकड़ों करोड़ रुपये विभिन्न ज्वैलर्स को हस्तांतरित किए गए हैं और इन ज्वैलर्स ने इन बैंकिंग लेनदेन के बदले नकद प्रदान किया है। रिभव ऋषि ने अपने सहयोगियों के साथ उक्त नकद राशि को नरेश कुमार सहित विभिन्न सरकारी अधिकारियों को वितरित किया। पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों और वहां से अर्जित संपत्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

नरेश कुमार को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 10.06.2026 को गिरफ्तार करने के बाद माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने आरोपी की 4 दिन की ईडी हिरासत 14.06.2026 तक दे दी है। इस मामले में पहले रिभव ऋषि, अभय कुमार और विक्रम वाधवा को ईडी ने गिरफ्तार किया था और रिमांड के बाद सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

आगे की जांच जारी है।